# छत्तीसगढ़ शासन
# सामान्य प्रशासन विभाग
# मंत्रालय
# महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9–3/2001/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 19/9/2013

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

**विषय :– अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण।**

संदर्भ :– सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ 9–3/2001/1–3, दिनांक 24.06.2009 संमसख्यक परिपत्र दिनांक 02.06.2011 एवं दिनांक 10.06.2013.

---

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्ड जारी किए गए हैं, तथा समय–समय पर भारत सरकार द्वारा क्रीमीलेयर की आय सीमा में वृद्धि करने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा भी संशोधन किया गया है। अनेक माध्यम से मूल मापदण्डों में आंशिक, शाब्दिक त्रुटियों की ओर ध्यानाकर्षित करने के फलस्वरूप उनमें संशोधन तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधानों को शामिल कर एकजाई मापदण्ड जारी किए जा रहें हैं, जो संलग्न है।

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार।**

16/9/13

(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

18/9/13

पृ.क्र.एफ 9–3/2001/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 19/09/ 2013

प्रतिलिपिः–

**सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
3. मुख्य सचिव, के अवर सचिव मंत्रालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर
6. माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव के निज सचिव /निज सहायक, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
16. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर,बिलासपुर, छ.ग.।
17. अध्यक्ष, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.।
18. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु।

16/9/13

**अवर सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

9/9/13

## क्रीमीलेयर के मापदण्ड

| क. | प्रवर्ग का वर्णन | क. | अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | संवैधानिक पद | 1. | निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ) |
| | | (क) | भारत के राष्ट्रपति |
| | | (ख) | भारत के उपराष्ट्रपति |
| | | (ग) | उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश. |
| | | (घ) | संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक |
| | | (ड़) | समान स्वरूप के संवैधानिक पदों का धारण करने वाले व्यक्ति |
| 2. | सेवा प्रवर्ग (सर्विस केटेगरी) | | निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) |
| (क) | अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह–ए /वर्ग–1 अधिकारी (सीधी भरती द्वारा नियुक्त) | (क) | जिनके माता–पिता दोनो ही वर्ग–I अधिकारी है। |
| | | (ख) | जिनके माता–पिता में से कोई एक वर्ग–I अधिकारी है। |
| | | (ग) | जिनके माता–पिता में से दोनों ही वर्ग–I अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है। |
| | | (घ) | जिनके माता–पिता में से एक वर्ग–I अधिकारी है, और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा ली हो। |

–4–

(ड़) जिनके माता–पिता दोनों ही वर्ग–I के अधिकारी हैं तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थाई तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते हैं और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

परन्तु अपर्वजन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :–

(i) उनकी पुत्र एवं पुत्रियां जिनके माता–पिता में से कोई एक या दोनों वर्ग–I अधिकारी है किन्तु उसकी /उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।

(ii) अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह वर्ग–I अधिकारी से हुआ है, भले ही अधिकारी पिछड़ा वर्ग का हो अथवा नहीं, तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।

(iii) जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग–I का अधिकारी है तथा वह सेवानिवृत्त हो चुका है।

(ख) **केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह बी/वर्ग– II के अधिकारी (सीधी भरती) द्वारा नियुक्त।**

**निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ)**

(क) जिनके माता/पिता दोनों ही वर्ग–II के अधिकारी है।

(ख) जिनके माता, पिता में से केवल पति वर्ग–II का अधिकारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व आयु में वर्ग–I अधिकारी बनता है।

–5–

(ग) जिनके माता, पिता दोनों ही वर्ग–II के अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता हैं एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता से पूर्व किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

(घ) जिनके माता, पिता में से पति वर्ग–I अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी वर्ग–II अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाय, अथवा अस्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये, तथा

(ड़) जिनके माता–पिता में से पत्नी वर्ग–I अधिकारी हो (सीधी भरती से अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) एवं पति वर्ग–II अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाये, अथवा यह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये।

परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :–

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ)

(क) जिनके माता, पिता दोनों वर्ग–II अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।

(ख) जिनके माता तथा पिता दोनों वर्ग–II अधिकारी हैं तथा दोनों की मृत्यु हो जाती हैं अथवा दोनों ही स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

(ग) जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग–II का अधिकारी है तथा वह सेवानिवृत्त हो चुका है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के कर्मचारी

इस प्रवर्ग में उपर्युक्त ''क'' तथा ''ख'' में बताया गया मापदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंको, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू होगा। साथ ही गैर सरकारी (प्रायवेट) समकक्ष या समतुल्य पदों एवं स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा। इन संस्थानों में समकक्ष या तुल्य आधार पर पदों का मूल्यांकन लंबित है तो निम्न प्रवर्ग VI में अंकित मापदण्ड इन संस्थानों के अधिकारियों पर लागू होंगे।

3. सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है)

उन माता, पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर पर तथा जल सेना और वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर कार्यरत है परन्तु,

(एक) यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात् विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तब लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुँच जायेगी।

(दो) पति तथा पत्नी के कर्नल के नीचे के स्तर को इकट्ठा नहीं किया जायेगा।

(तीन) यहाँ तक की सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह पद संख्या–2 के तहत् सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए। ऐसे मामले में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्तें उस पर स्वतंत्र रूप से लागू होंगी।

विशेष टीप : प्रवर्ग 2 के (क) एवं (ख) तथा प्रवर्ग–3 के अतिरिक्त, किसी भी केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं सशस्त्र सेना, जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्रीमीलेयर के अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।

| | | |
|---|---|---|
| 4. | व्यावसायिक : वर्ग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुए हो, | प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा। |
| (1) | चिकित्सक, वकील, चार्टड अकाउण्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार, दंत चिकित्सक, अभियंता वास्तुकार, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | लेखक, नाटककार, पेशेवर खिलाड़ी खेल व्यवसायी जनसंचार व्यवसायी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति। | | |
| (2) | व्यापार, कारोबार तथा उद्योगों में लगे व्यक्ति | | प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा।<br>स्पष्टीकरण –<br>(1) चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जायेगा।<br>(2) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। |
| 5. | सम्पत्ति धारक | (एक) | एक ही परिवार (माता–पिता अव्यस्क बच्चे) के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ) जो निम्नलिखित के स्वामी हैं. |
| (क) | कृषि क्षेत्र | (एक) | सिंचित क्षेत्र प्रवर्ग–6 के समक्ष, विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होंगे। |
| | | (दो) | यदि परिवार के पास जोत क्षेत्र है, वह पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है, तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा। |
| (ख) | बागान | | |
| (एक) | कॉफी, चाय, रबर आदि | | नीचे प्रवर्ग–6 में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा। |
| (दो) | आम, खट्टे फल, सेव के बाग आदि | | इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जावेगा इसलिए इस प्रवर्ग पर उपरोक्त ''क'' मापदण्ड लागू होगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ग) | शहरी तथा उप नगरीय क्षेत्रों में भवन और / या खाली भूमि | | नीचे प्रवर्ग–6 में विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण :– भवन का उपयोग रहने, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है या इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है। |
| 6. | आय / सम्पत्ति आंकलन | (क) | उन व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्रियॉ, जिनकी लगातार तीन वर्षो तक की कुल वार्षिक आय **(रूपये 6.00 लाख) (रूपये छः लाख)** या उससे अधिक है अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते है। |
| | | (ख) | श्रेणी–I,II,III, और V-क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय / सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी के पुत्र और पुत्रियॉ। |
| | | (i) | स्पष्टीकरण–वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा। |
| | | (ii) | रूपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मापदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जायेगा। परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतर अवधि कम भी हो सकती है। |

स्पष्टीकरण :– (1) इस अनुसूची में जहां कहीं भी ''स्थायी अक्षमता'' का प्रयोग हुआ है, उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये नहीं रखा जा सके।

–––––XXXX–––––